27 5/19 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०
है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन
किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र के
तथ्य, वांछित अनुतोषादि, पैरोकार
सरकार के जवाब, एवं अपने प्रा०-पत्र
में वांछित अनुतोषादि के समर्थन
में प्रस्तुत दस्तावेजात का प्रकरण के
संबंध में सम्यक विचार किया
गया।

प्रार्थी० द्वारा खसरा नम्बर 411 व
412 वाके माल मौजा सौंडपुर एवं

27/5/19

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | खसरा नं० 409 के मध्य स्थित खसरा नम्बर 410 को सड़क के रूप में दर्ज किये जाने का नम्र अनुरोध चाहा है।<br>जवाब सरकार में अंकित है, कि ख० नं० 410 में रोड़ की नहीं रखी गयी थी अपने जवाब में पेशकार सरकार द्वारा रिकार्ड एवं मौके (दोनों का) का नज़री नक्शा भी पेश किया थी<br>रिकार्ड में खसरा नं० 410 किशना पुत्र नारायन के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर को मौका अनुसार P.W.D. विभाग के नाम दर्ज करवाना चाहते है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा न तो P.W.D को पक्षकार बनाया और न ही प्रकरण वर्णित ख० नं० 410 के रिकार्डेड खातेदार को पार्टी बनाया। यदि प्रार्थी के कथनानुसार रिकार्डेड टीनेन्ट की खातेदारी की भूमि को बिना उसे सुने सड़क के रूप में मौका के अनुसार दर्ज करने के आदेश दे दिये जाते है, तो इससे ख०नं० | |

27/5/14

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 410 के खातेदार के खातेदारी स्वत्व पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। किसी पक्ष को बिना सुने उसके विरुद्ध आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन है। | |
| | यदि ख० नं० 410 पर मौके पर सड़क बनी हुई है, तो क्या उक्त भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अधिग्रहीत किया गया है? क्या उक्त भूमि के खातेदार ने मुआवजा प्राप्त किया? इत्यादि प्रश्न अनुत्तरित है। | |
| | प्रकरण में महकमा बन्दोबस्त अथवा रेवेन्यू अहलकारान द्वारा प्रार्थीगण के हितों के विपरीत किसी प्रकार की त्रुटि राजस्व अभिलेख में कारित की गई हो, और जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के सुसंगत प्रावधान की धारा 136 में यथा विहित है के अन्तर्गत दुरुस्त किया जा सके, ऐसी त्रुटि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित नहीं होती है। साथ ही साथ प्रार्थी० ने प्रकरण के हितबद्ध पक्षकार किशना पुत्र नारायण को भी पार्टी | |

27/5/14

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | नहीं बनाया गया है, ऐसी सूरत में उसका पक्ष भी नहीं सुना जा सकता। प्रकरण Non-Joinder of parties का दोष है।<br><br>प्रार्थीगण का प्रा० पत्र L.R. Act 1956 की शरायतों को फुलफिल नहीं करता। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। फाइल नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय आज दिनांक 27-5-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>27/5/19<br>(चिमनलाल मीणा)<br>R.A.S. | |